न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 104/18 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- 1. राजेन्द्र पुत्र कूड़ाराम जाति अहीर निवासी ग्राम रावडका तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

---------अपीलांट

बनाम

1 सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, तिजारा
2 कनिष्ठ अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, तिजारा
3 राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अलवर

:---------रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम
दिनांक 25.10.2018

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री सुबेसिंह यादव

2. वकील रेस्पो0सं01 :- श्री जनार्दन शर्मा

3. राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 20.5.2019

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 230/18 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 25.10.18 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की है । अप्रार्थी का इस आराजी से कोई लेना देना नहीं है । परन्तु उन्होंने ऐलानिया तौर पर प्रार्थी को कहा कि वो इस आराजी में सडक निर्माण करेंगे । अगर उन्होंने ऐसा किया तो प्रार्थी को नापूर्तिजनक क्षति होगी । अतः उन्हें पाबन्द किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया है,जिसकी यह अपील है ।

3 दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि 12 फीट तक बनी हुई ग्रेवल रोड पर डाम्बर की सडक बनाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है ।

4 विद्वान वकील रेस्पो0 एवं विद्वान राजकीय अभिभाषक ने भी अपीलांट के इस निवेदन का समर्थन किया ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । चूंकि विद्वान वकील अपीलांट को 12 फीट तक बनी हुई ग्रेवल रोड पर डाम्बर की सडक बनाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है अर्थात वह अपील में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहता है । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.10.2018 यथावत रखा जाता है ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner